दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

मार्च भाग-2

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- पार्श्व प्रवेश/लेटरल एंट्री सुधार 5
- संघ बनाम दिल्ली सरकार 7
- चुनावी बॉण्ड एवं संबंधित मुद्दे 9
- संसदीय समितियाँ 10
- संसदीय प्रणाली की निष्क्रियता: चुनौती और उपाय 11

आर्थिक घटनाक्रम **14**

- एमएसएमई का डिजिटल सशक्तीकरण 14
- बैड बैंक: पक्ष और विपक्ष 16

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **19**

- क्वाड: प्रथम शिखर सम्मेलन 19

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **21**

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ 21
- ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात 22

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **25**

- भारतीय जलवायु राजनीति 25

सामाजिक न्याय **27**

- जनसंख्या स्थिरीकरण 27
- अवैतनिक कार्य हेतु वेतन 28

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

पार्श्व प्रवेश/लेटरल एंट्री सुधार

हाल ही में लेटरल एंट्री सुधार योजना के तहत विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर आठ पेशेवरों की भर्ती की गई। लेटरल एंट्री का अर्थ है जब निजी क्षेत्र के कर्मियों को सरकार के किसी प्रशासनिक पद के लिये चुना जाता है, परंतु यह चयन नौकरशाही व्यवस्था के तहत नहीं होता है।

लेटरल एंट्री की आवश्यकता इसलिये है क्योंकि वर्तमान समय में प्रशासनिक मामलों के शीर्ष पदों पर अत्यधिक कुशल और प्रेरक व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिसके बिना सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र सुचारु रूप से काम नहीं करता है।

हालाँकि लेटरल एंट्री की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि इस व्यवस्था को कैसे स्थापित किया गया है।

प्रशासकों की स्थायी प्रणाली:

- स्थायी प्रणाली में IAS अधिकारी 17 वर्ष की सेवा के बाद संयुक्त सचिव स्तर पर पदोन्नत हो जाते हैं और दस वर्ष तक उस स्तर पर बने रहते हैं।
- संयुक्त सचिव भारत सरकार में वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण पद होता है और वे नीति निर्धारण के साथ-साथ सौंपे गए विभाग के लिये विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का नेतृत्व करते हैं।
- संयुक्त सचिव स्तर का पद आमतौर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चुने गए अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।
- IAS और स्थायी प्रणाली सख्ती से वरिष्ठता प्रक्रिया से संबंधित है अर्थात् किसी को समय से पहले पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।
- इस कारण संयुक्त सचिव की औसत आयु लगभग 45 वर्ष होती है।

लेटरल एंट्री के लाभ:

- विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता: वर्तमान में शासन व्यवस्था विशेष कौशल की आवश्यकता के साथ अधिक जटिल होती जा रही है। उदाहरण- हमारे जीवन में डेटा के प्रभुत्व की बढ़ती पैठ।
  - सामान्यत: अधिकारियों से हमेशा विशेष ज्ञान के साथ अद्यतन रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
  - इसलिये विशेष कार्यक्षेत्र में विशेष ज्ञान वाले लोगों द्वारा वर्तमान प्रशासनिक चुनौतियों की जटिलता का मार्गदर्शन लिए जाने की आवश्यकता है।
- कमी पूरी करना: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 1500 आईएएस अधिकारियों की कमी है। लेटरल एंट्री इस कमी को पूरा करने में मदद कर सकती है।
- कार्य संस्कृति में बदलाव लाना: लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकारी क्षेत्र की कार्य-संस्कृति के अंतर्गत नौकरशाही संस्कृति में परिवर्तन लाने में मदद मिलेगी। नौकरशाही संस्कृति की आलोचना लालफीताशाही, 'रूल-बुक' नौकरशाही और यथास्थितिवाद के लिये की जाती है।
  - लेटरल एंट्री से सरकारी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के मूल्यों में वृद्धि के साथ -साथ सरकारी क्षेत्र में प्रदर्शनकारी संस्कृति के निर्माण में मदद मिलेगी।
- सहभागितापूर्ण शासन: वर्तमान में शासन व्यवस्था अधिक सहभागी और बहुआयामी प्रयास बन कर उभर रही है। इस संदर्भ में लेटरल एंट्री निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्र के हितधारकों को शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

लेटरल एंट्री के विरोध में तर्क:

- आउटसोर्सिंग विशेषज्ञता: विशेषज्ञता लाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होने के बीच एक अंतर है।
  - विशेषज्ञता लाने के लिये सरकार को निजी क्षेत्र के कर्मियों को रखने की आवश्यकता नहीं है। लगभग हर मंत्रालय द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। जैसे -विशेषज्ञ समितियाँ, परामर्शदाता, थिंक टैंक संलग्नक आदि।

नोट :

- निर्णय लेने की बोझिल प्रक्रिया: लेटरल एंट्री की सफलता के लिये व्यवस्था की समझ और स्थायी रूप से कार्य करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। इसके लिये कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। अत: इस कारण निर्णयन प्रक्रिया बोझिल बनती है और समस्याओं का समय से समाधान नहीं हो पाता है।
  - पुराने समय में पार्श्व प्रवेशकों ने लंबे समय तक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर सेवा करते हुए अत्यधिक प्रभाव डाला है।
- लाभ का उद्देश्य बनाम सार्वजनिक सेवा: सरकार का निजी क्षेत्र से संबंधित दृष्टिकोण लाभ आधारित है परंतु इसके अन्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित हैं।
  - यह भी एक आधारभूत संक्रमणीय अवस्था है, जिसमें एक निजी क्षेत्र के व्यक्ति को सरकारी कार्य के दौरान रहना पड़ता है।
- हितों का टकराव: निजी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किये जाने से हितों के टकराव का मुद्दा उत्पन्न होता है।
  - इस मुद्दे को संबोधित करने के लिये निजी क्षेत्रों से प्रवेश करने वालों हेतु एक कठोर संहिता की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितों का टकराव जनता की भलाई के लिये हानिकारक नहीं है।

आगे की राह:

- उद्देश्य संबंधी मानदंड निर्धारित करना: प्रत्येक मंत्रालय में कई संयुक्त सचिव होते हैं जो विभिन्न विभागों को संभालते हैं। यदि पार्श्व प्रवेशकों को एक महत्त्वहीन पोर्टफोलियो सौंपा गया, तो संभावना है कि वे इससे प्रेरित नहीं होंगे।
  - हाल ही में लेटरल एंट्री के तहत चुने गए आठ संयुक्त सचिवों के पास महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो न होने के कारण एक चयनित व्यक्ति पहले ही पदभार छोड़ चुका है।
  - इस प्रकार कुशलता, गुण और एक विशेष भूमिका का लाभ उठाने के लिये निष्पक्ष रूप से निर्णय लिये जाने चाहिये।
- आयु संबंधी शर्तों में ढील: संयुक्त सचिव स्तर पर बाहर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिये लेटरल एंट्री संबंधी शर्तों को शिथिल करने की आवश्यकता है ताकि 35 वर्ष की आयु के व्यक्ति पात्र हो सकें।
  - यदि अर्थशास्त्रियों की पिछली पीढ़ी में लेटरल एंट्री व्यवस्था को देखा जाए तो इसमें बहुत अधिक लचीलापन था।
  - मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बिमल जालान और विजय केलकर अपनी आयु के 30 के दशक के मध्य में संयुक्त सचिव के पद पर थे और 40 के दशक के अंत या 50 वर्ष की अवस्था में वह सचिव के पद पर थे।
  - यही कारण है कि उन्होंने विदेश में आकर्षक नौकरियों को छोड़ दिया।
- पारदर्शी प्रक्रिया की आवश्यकता: इस योजना की सफलता के लिये उचित तरीके से सही लोगों का चयन करने हेतु पारदर्शिता का होना आवश्यक है।
  - संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह चयन की पूरी प्रक्रिया को वैधता प्रदान करेगा।
- पार्श्व प्रवेशकों का प्रशिक्षण: निजी क्षेत्र से सिविल सेवाओं में प्रवेश करने वालों के लिये एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाना आवश्यक है जो उन्हें सरकार में काम की जटिल प्रकृति को समझने में मदद करेगा।

निष्कर्ष:

किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा हेतु लेटरल एंट्री एक अच्छा उपाय है। लेकिन लेटरल एंट्री संबंधी शर्तों, नौकरी के असाइनमेंट, कर्मियों की संख्या और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव हेतु एक कार्यबल के गठन के लिये प्रशिक्षण पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्थायी प्रणाली में सुधार (विशेष रूप से इसका वरिष्ठता सिद्धांत) समग्र प्रशासनिक सुधारों हेतु एक आवश्यक शर्त है।

नोट :

संघ बनाम दिल्ली सरकार

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 प्रस्तावित किया गया। केंद्र सरकार इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन को चलाने से संबंधित कानून में संशोधन करना चाहती है जो दिल्ली के प्रशासनिक ढाँचे के क्रियान्वयन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा दी गई व्याख्या को प्रभावित करता है।

हालाँकि कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्तावित विधेयक न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के प्रतिकूल है। उनके अनुसार, यदि विधेयक कानून बन जाता है तो यह नियुक्त उपराज्यपाल (Lieutenant Governor- LG) की अपेक्षा चुनी हुई सरकार की स्थिति को अधिक मज़बूत करने के न्यायालय के प्रयासों को पूरी तरह से कमज़ोर कर देगा।

प्रमुख प्रस्तावित संशोधन

- सरकार की परिभाषा में बदलाव: प्रस्तावित विधेयक में 'सरकार' के सभी संदर्भों का अर्थ कार्यकारी मंत्रिपरिषद के बजाय "उपराज्यपाल" में निहित होने को उल्लेखित किया गया है।
- LG की शक्तियों का विस्तार: यह विशिष्ट मामलों में निर्वाचित सरकार को LG से परामर्श लेने के लिये उपराज्यपाल की शक्तियों का विस्तार करता है। इसके अलावा इस प्रकार के "मामलों" को एक सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से परिभाषित करने का उत्तरदायित्व उपराज्यपाल की शक्तियों में ही निहित किया गया है।
- कमज़ोर विधानसभा: यह विधेयक विधानसभा को दिन-प्रतिदिन के प्रशासन हेतु अपनी समितियों के लिये नियम बनाने से रोककर उसकी शक्तियों को कमज़ोर करता है।

दिल्ली शासन संरचना पर सर्वोच्च न्यायालय

- पृष्ठभूमि: भारत के संविधान में 69वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239AA निर्दिष्ट किया गया, जिसमें दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश को LG द्वारा प्रशासित घोषित किया गया जो निर्वाचित विधानसभा की सहायता और परामर्श पर काम करता है।
  - हालाँकि 'सहायता और परामर्श' खंड केवल निर्वाचित विधानसभा के पास राज्य तथा समवर्ती सूचियों के मामलों से संबंधित है और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि इसके अपवाद हैं।
  - इसके अलावा अनुच्छेद 239AA यह भी संदर्भित करता है कि LG को मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करना होगा इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति द्वारा द्वारा दिये गए निर्देशों को लागू करने के लिये बाध्य है।
  - साथ ही अनुच्छेद 239AA, LG को 23 विभिन्न मामलों पर राष्ट्रपति के साथ मंत्रिपरिषद के मतभेद का उल्लेख करने का अधिकार देता है।
  - इस प्रकार LG और निर्वाचित सरकार के बीच इस दोहरे नियंत्रण से सत्ता में तनाव पैदा होता है, जिसे वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: 4 जुलाई, 2018 को संवैधानिक पीठ ने अपने फैसले में कहा कि संविधान में LG को स्वतंत्र निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं सौंपी गई है।
  - न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को "किसी भी मामले" को संदर्भित करने की शक्ति का तात्पर्य प्रत्येक मामले से नहीं था।
  - दूसरे शब्दों में LG, राष्ट्रपति के समक्ष किसी भी मामले का उल्लेख नहीं कर सकता है; उसे "संवैधानिक निष्पक्षता" को नियोजित करना होगा और इस शक्ति का प्रयोग दुर्लभ स्थितियों में वैध कारणों के आधार पर करना होगा।
  - इस प्रकार प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं है और उससे परामर्श "नियमित या यांत्रिक तरीके" के बजाय केवल असाधारण परिस्थितियों में लिया जाना चाहिये।

नोट

- एनसीटी बनाम यूओआई (NCT vs UOI) मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वर्ष 2018 में 'संवैधानिक निष्पक्षता' (Constitutional Objectivity) शब्द का उल्लेख किया जो विधायिका और कार्यकारी के बीच जाँच तथा संतुलन की कुंजी है।

नोट :

- संवैधानिक निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि दोनों स्तरों की सरकारें अपने आवंटित क्षेत्रों के भीतर काम करती रहें क्योंकि "वैध संवैधानिक विश्वास" किसी भी कार्य को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिये शक्तियों के वितरण और पृथक्करण पर आधारित है।

विधेयक के खिलाफ तर्क

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ: विधेयक का सार दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित कानून के संदर्भ में 'सरकार' के सभी संदर्भों का अर्थ "उपराज्यपाल" में निहित होने से है।
  - इस निर्णय के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत का तर्क यह था कि निर्वाचित सरकार की शक्तियों का सीमांकन नियुक्त प्रशासक द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिये। विधेयक निर्वाचित प्रतिनिधियों की लगभग सभी शक्तियों का उन्मूलन करता है।
  - इस विधेयक में वर्ष 2018 के निर्णय का खंडन किया गया है, जो स्पष्ट करता है कि LG के बजाय मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद दिल्ली सरकार की कार्यकारी प्रमुख हैं।
- प्रतिनिधि सरकार का रोलबैक: विधेयक में शासनिक शक्ति उपराज्यपाल में निहित कर चुनी हुई सरकार और LG के बीच उत्तरदायित्त्व के असामंजस्य को समाप्त करता है।
  - इसके अलावा चुनी हुई सरकार के लिये कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले LG की राय की आवश्यकता प्रभावी रूप से निर्वाचित सरकार को शक्तिहीन बना सकती है।
  - इसके अलावा यह विधेयक विधानसभा या उसकी समितियों को दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के किसी भी मामले पर चर्चा करने या प्रतिनिधि सरकार के रोलबैक के लिये पूछताछ करने के अधिकार को शून्य घोषित करता है।
- संघीय राजनीति की केंद्रीयता: हाल ही में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं जो कि संघवाद (कृषि विधेयक, धारा 370 के निरसन आदि) की भावना को कम करती है। यह विधेयक भारत की संघीय राजनीति को केंद्रीयकृत करने की दिशा में एक और उचित कदम है।
  - हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह के विधेयक भारत की चुनावी निरंकुशता की अंतर्राष्ट्रीय धारणा को मज़बूत कर सकते हैं।

आगे की राह:

- संवैधानिक विश्वास (Constitutional Trust) के माध्यम से कार्य करना: शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्णय में उल्लेख किया गया था कि संविधान में निहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 एक सहयोगात्मक संरचना की परिकल्पना करता है जिसमें केवल संवैधानिक विश्वास के माध्यम से ही काम किया जा सकता है।
  - इस प्रकार इस विधेयक को एक प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिये और कृषि विधेयकों की तरह ज़ल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिये।
  - ऐसे मामलों में सर्वसम्मति सुनिश्चित की जानी चाहिये जो संघवाद के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उच्च सिद्धांतों के अनुरूप हो।
- सब्सिडियरी का सिद्धांत (Principle of Subsidiarity) सुनिश्चित करना: सब्सिडियरी (राजकोषीय संघवाद का संस्थापक) सिद्धांत आवश्यक रूप से उपराष्ट्रीय सरकारों को सशक्त बनाता है।
  - इससे केंद्र सरकार को उपराष्ट्रीय सरकारों को अधिक-से-अधिक शक्तियाँ आवंटित करने की दिशा में बढ़ना चाहिये।
  - इस संदर्भ में भारत को दुनिया भर के जकार्ता और सियोल से लेकर लंदन व पेरिस जैसे बड़े मेगापोलिस का अनुसरण करना चाहिये जहाँ मज़बूत उप-राष्ट्रीय सरकारें कार्यरत हैं।

निष्कर्ष:

संवैधानिकता का मूल सिद्धांत सीमित शक्तियों की अवधारणा को केंद्रीय मानता है। इन लोकाचारों को बनाए रखने के लिये सबसे ज़्यादा महत्त्व उन लोगों को दिया जाना चाहिये जो वास्तविक संप्रभु हैं और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं।

नोट :

चुनावी बॉण्ड एवं संबंधित मुद्दे

संदर्भ:

चुनावी बॉण्ड अपनी शुरुआत के तीन वर्षों के भीतर ही राजनीतिक चंदे का सबसे लोकप्रिय साधन बन गया है, इसमें दानदाताओं का नाम गुप्त रखा जाता है। हालाँकि कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी बॉण्ड के डिज़ाइन और संचालन के कारण राजनीतिक दलों को असीम तथा अज्ञात कॉर्पोरेट दान प्राप्त करने की संभावना होती है। यह प्रक्रिया नागरिकों और मतदाताओं के 'जानने का अधिकार' (Right To Know) के संवैधानिक मूलाधिकारों के साथ ही भारत के लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

इसके कारण आगामी राज्य चुनावों के मद्देनज़र चुनावी बॉण्ड को बनाए रखने के संदर्भ में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association of Democratic Reforms- ADR) ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को बरकरार रखने या न रखने के प्रश्न पर निर्णय अभी सुरक्षित रखा है।

चुनावी बॉण्ड से संबद्ध चुनौतियाँ

- लोकतंत्र पर आघात: केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 में एक संशोधन द्वारा राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा न करने के संबंध में छूट दी है।
  - इसका तात्पर्य है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और कितनी मात्रा में चंदा दिया है।
  - हालाँकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिकों को यह अधिकार है कि वह चुने जाने वाले अपने प्रतिनिधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।
- "जानने का अधिकार" से समझौता: दीर्घकाल से ही सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में माना है कि "जानने का अधिकार", भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।
  - इस प्रकार चुनावी बॉण्ड नागरिकों और मतदाताओं के "जानने का अधिकार" के साथ ही लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के खिलाफ: नागरिक, चुनावी बॉण्ड से संबंधित कोई भी विवरण नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त सरकार भारतीय स्टेट बैंक से डेटा की मांग कर दाता के विवरण तक पहुँच सकती है।
  - तात्पर्य यह है कि सत्तासीन सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकती है।
- भारत के चुनाव आयोग द्वारा विरोध: चुनाव आयोग ने मई 2017 में जनप्रतिनिधि अधिनियम (Representation of the People Act- RPA) में संशोधनों पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा न करने की छूट देता है।
  - चुनाव आयोग ने इसको "प्रतिगामी कदम" बताया।
- संस्थागत भ्रष्टाचार: चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक चंदे की सभी पूर्व-मौजूदा सीमाओं को हटा देती है जिसके परिणामस्वरूप निगमों को चुनावों में प्रभावी चंदा देने की अनुमति प्रदान की जाती है, इसके कारण क्रोनी पूंजीवाद का मार्ग प्रशस्त होता है।
  - इसके अलावा चुनावी बॉण्ड योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों (इस प्रकार के चंदे को अक्सर शेल कंपनियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है) को भी विदेशी चंदा मिल सकता है। चुनावी बॉण्ड योजना के साथ संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावनाएँ कम होने के बजाय बढ़ जाती हैं।

आगे का रास्ता:

- चुनावी वित्तीयन में पारदर्शिता: कई विकसित देशों में चुनावों का वित्तपोषण सार्वजनिक रूप से किया जाता है। यह समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच संसाधन अंतराल को समाप्त करता है।
  - दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, दिनेश गोस्वामी समिति और कई अन्य लोगों ने भी चुनावों के राज्य वित्तपोषण की सिफारिश की है।
  - इसके अलावा जब तक चुनावों का वित्तपोषण सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता है, तब तक राजनीतिक दलों के वित्तीय योगदान पर कैप या सीमाएँ आरोपित की जा सकती हैं।

नोट :

- निर्णायक के रूप में न्यायपालिका का कार्य: किसी कार्यशील लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका को रेफरी के रूप में कार्य करते हुए अपने महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है।
  - चुनावी बॉण्ड ने सरकार की चुनावी वैधता पर सवाल उठाया है और इस तरह पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है।
  - इस संदर्भ में न्यायालय को एक निर्णायक के रूप में कार्य करना चाहिये और लोकतंत्र के मूलभूत नियमों को लागू करना चाहिये।
- नागरिक संस्कृति के प्रति संक्रमण: भारत में लगभग 75 वर्षों से लोकतंत्र अच्छा काम कर रहा है। अब सरकार को अधिक जवाबदेह बनाने के लिये मतदाताओं को स्वयं जागरूक होना चाहिये और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों एवं पार्टियों को अस्वीकार करना चाहिये।

निष्कर्ष:

यह ज़रूरी है कि अगर लोकतंत्र का विकास करना है, तो राजनीति को प्रभावित करने के एक हिस्से के रूप में धन की भूमिका सीमित होनी चाहिये। इस प्रकार यह अनिवार्य है कि चुनावी बॉण्ड की योजना को संशोधित किया जाए।

संसदीय समितियाँ

भारतीय संसद द्वारा हाल ही में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया, जो नई दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करता है। उल्लेखनीय है कि व्यापक रूप से परिवर्तनकारी विधेयक होने के बावजूद इसे विचार हेतु किसी संसदीय समिति को नहीं भेजा गया था।

- एक संसदीय लोकतंत्र में इस तरह के महत्त्वपूर्ण विधेयकों को जाँच हेतु संसदीय समितियों को भेजा जाता है। यद्यपि वर्ष 2009 से 2014 के बीच प्रस्तुत विधेयकों में से 71% को जाँच हेतु संसदीय समितियों को भेजा गया लेकिन वर्ष 2014 से 2019 के बीच यह आँकड़ा केवल 25% रहा।
- संसदीय समितियों को दरकिनार किया जाना भारत में तेज़ी से एक प्रतिमान बनता जा रहा है लेकिन लोकतंत्र में संसदीय समिति प्रणाली के महत्त्व को देखते हुए इसे अप्रचलित किये जाने के बजाय मज़बूती प्रदान करने की आवश्यकता है।

संसदीय समितियों का महत्त्व:

- विधायी विशेषज्ञता प्रदान करना: अधिकांश सांसद उन विषयों के विशेषज्ञ नहीं होते जिन पर चर्चा की जा रही होती है बल्कि वे सामानज्ञ होते हैं जो लोगों के मनोभावों को तो समझते हैं लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों और हितधारकों की सलाह पर भरोसा करते हैं।
  - संसदीय समितियाँ सांसदों को विशेषज्ञता हासिल करने और संबंधित मुद्दों पर विस्तार से विचार करने का समय देती हैं।
- एक मिनी-संसद के रूप में कार्य करना: ये समितियाँ एक मिनी-संसद के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि इनके सदस्य अलग-अलग दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद होते हैं जिनका चयन एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के माध्यम से (साधारणतया संसद में उनकी संख्या के अनुपात में) होता है।
- विस्तृत जाँच का साधन: जब विधेयक इन समितियों को संदर्भित किये जाते हैं अथवा इनके पास भेजे जाते हैं तो उनकी बारीकी से जाँच की जाती है और इस संबंध में आमजन सहित विभिन्न बाह्य हितधारकों के विचार आमंत्रित किये जाते हैं।
- सरकार पर नियंत्रण: यद्यपि समिति की सिफारिशें सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उन परामर्शों का एक सार्वजनिक अभिलेख (रिकॉर्ड) तैयार करती है, जो सरकार पर दबाव डालती है कि वह चर्चा योग्य प्रावधानों के संदर्भ में अपने रुख पर पुनर्विचार करे।
  - समिति की बैठकें बंद-दरवाज़ों के भीतर और जनता की नज़र से दूर होने के कारण इनमें होने वाला विचार-विमर्श भी अधिक सहयोगपूर्ण होता है क्योंकि इसमें सांसद मीडिया दीर्घाओं का दबाव कम महसूस करते हैं।

संसदीय समितियों को कम महत्त्व दिये जाने से संबद्ध मुद्दे

- सरकार की संसदीय प्रणाली का कमज़ोर होना: एक संसदीय लोकतंत्र संसद और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को समेकित करने के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन संसद से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सरकार की ज़िम्मेदारी को बनाए रखने के साथ ही इसकी शक्तियों पर भी नियंत्रण बनाए रखे।

नोट :

- इस प्रकार महत्त्वपूर्ण विधानों को पारित करते समय संसदीय समितियों को महत्त्व न दिये जाने या उन्हें दरकिनार करने से लोकतंत्र के कमज़ोर होने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

- ब्रूट मेजोरिटी को लागू करना: भारतीय प्रणाली में यह अनिवार्य नहीं है कि विधेयक समितियों को भेजे जाएँ। यह अध्यक्ष (लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति) के विवेक पर छोड़ दिया गया है।
  - अध्यक्ष को विवेकाधीन शक्ति प्रदान कर इस प्रणाली को विशेष तौर पर लोकसभा में जहाँ बहुमत सत्तारूढ़ दल के पास होता है, को कमज़ोर रूप में प्रस्तुत किया गया है।

आगे की राह:

- चर्चा को अनिवार्य करना: स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में सभी विधेयक समितियों के पास भेजे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के सदस्यों को शामिल करते हुए विधेयक के चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाता है, इस समिति को ऐसे विधेयकों को चिह्नित करने का काम सौंपा जाता है जिन्हें समितियों को भेजा जाना चाहिये।
  - संभवत: भारत के लिये भी ऐसा समय आ गया है कि समिति प्रणाली, जिसे अभी तक बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया गया, का लाभ उठाने के लिये इस प्रकार का आदेश दिया जाए।
  - इसके लिये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों में संशोधन करना होगा।
- समय-समय पर समीक्षा: राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग (National Commission to Review the Working of the Constitution- NCRWC) के अनुसार, विभागीय स्थायी समितियों (DRSC) की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिये ताकि ऐसी समितियों के स्थान पर नई समितियाँ बनाई जा सकें जिन्होंने अपनी उपयोगिता अथवा सार्थकता से अधिक समय तक काम किया है। उदाहरण के लिये:
  - सलाहकार विशेषज्ञता, डेटा संग्रहण और अनुसंधान सुविधाओं हेतु उपायों के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर स्थायी समिति।
  - संसद में प्रस्तुत किये जाने से पहले संवैधानिक संशोधन विधेयकों की जाँच हेतु स्थायी संसद समिति का गठन।

निष्कर्ष:

- महत्त्वपूर्ण विधेयकों के लिये जाँच को अनिवार्य बनाना विधायी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न किये बगैर कानून की गुणवत्ता और इसके विस्तार द्वारा शासन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिये आवश्यक है। इस प्रकार कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की शुचिता सुनिश्चित करने के लिये एक मज़बूत संसदीय समिति प्रणाली की आवश्यकता है।

संसदीय प्रणाली की निष्क्रियता: चुनौती और उपाय

संदर्भ:

किसी देश की संसद को लोकतंत्र के मूल विचार के लिये महत्त्वपूर्ण माना जाता है, जो कि लोकतांत्रिक परिदृश्य में केंद्रीय भूमिका अदा करती है, इसे प्राय: कानून बनाने, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बहस करने का अतिमहत्त्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता है।

इस संदर्भ में कई विश्लेषकों का मत है कि भारतीय संसद इतने वर्षों के बाद भी उस स्तर तक विकसित और परिपक्व नहीं हुई है, जितनी वह हो सकती थी अथवा उसे होना चाहिये था।

छोटे संसदीय सत्र और विधेयकों की जांच में शिथिलता आदि कारणों के परिणामस्वरूप संसद की ख्याति और दक्षता दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है।

ऐसे में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत के विचार को संरक्षित करने हेतु संसद को विधेयक बनाने, उनकी जाँच करने और सत्रों का आयोजन करने आदि के संदर्भ में अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

नोट :

संसद की निष्क्रियता और संबंधित मुद्दे

- छोटे संसदीय सत्र: छोटे संसदीय सत्रों की प्रवृत्ति भारतीय संसदीय प्रणाली में लगातार बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिये वर्ष 2021 में संसद का बजट सत्र, राज्य विधानसभा चुनावों के प्रचार में राजनीतिक नेताओं की भागीदारी के चलते नियोजित समय से दो सप्ताह पूर्व ही समाप्त हो गया।
  - वर्ष 2020 के बजट सत्र की अवधि में भी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कुछ कमी की गई थी।
  - वर्ष 2020 में 18 दिनों का मानसून सत्र भी केवल 10 दिनों तक ही चला, जबकि शीतकालीन सत्र को पूर्णत: रद्द कर दिया गया।
- सक्रिय विधायी जाँच का अभाव: बजट सत्र के दौरान कुल 13 विधेयकों को प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से 8 विधेयक सत्र के भीतर पारित किये गए और सभी 13 विधेयकों में से किसी भी विधेयक को संसदीय समिति के समक्ष जाँच के लिये नहीं भेजा गया गया, जो यह दर्शाता है कि संसद के पास जाँच तंत्र होने के बावजूद इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है।
  - राज्यसभा और लोकसभा में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 को प्रस्तुत करने और पारित होने में महज 10 दिन का समय लगा और विपक्षी दलों को इस पर बहस एवं जाँच करने का कोई अवसर नहीं दिया गया।
  - खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 भी मात्र एक सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया था।
  - नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक, 2021 को भी केवल तीन दिनों के भीतर पारित कर दिया गया था।
  - बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, जिसका उद्देश्य बीमा कंपनियों के लिये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करना था, को भी दोनों सदनों में पारित होने में एक सप्ताह का समय लगा।
  - इस त्वरित कार्य को भारतीय संसदीय प्रणाली की दक्षता के बजाय किसी विधेयक की जाँच करने में संसद द्वारा की जा रही लापरवाही के रूप में देखा जाना चाहिये।
- संसदीय समितियों की लगातार उपेक्षा: पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा एकत्रित आँकड़ों की मानें तो 15वीं लोकसभा के दौरान संसद द्वारा विधेयकों को विभागीय समितियों को भेजे जाने की दर 71 प्रतिशत थी, जो कि 16वीं लोकसभा के दौरान घटकर मात्र 27 प्रतिशत रह गई और 17वीं लोकसभा के दौरान तो यह दर (केवल 11 प्रतिशत) और भी कम हो गई।
  - विभागीय समितियों के अलावा चयनित संसदीय समितियों और संयुक्त संसदीय समितियों को भी किसी विधेयक को संदर्भित किये जाने की दर काफी कम है।
- केंद्रीय बजट पर चर्चा: भारतीय संविधान लोकसभा के लिये प्रत्येक विभाग और मंत्रालय के व्यय बजट को अनुमोदित करना और उस पर चर्चा करना अनिवार्य बनाता है।
  - हालाँकि इसके बावजूद इस वर्ष लोकसभा में विस्तृत चर्चा के लिये केवल पाँच मंत्रालयों के बजट को सूचीबद्ध किया गया और उसमें से भी केवल तीन पर ही चर्चा की गई।
  - इसके अलावा बजट के 76 प्रतिशत हिस्से को बिना किसी चर्चा के ही स्वीकृति दे दी गई।
- लोकसभा के उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के कुल सदस्यों में से दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रावधान करता है।
  - वर्तमान लोकसभा में अब तक उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया है, जबकि नई लोकसभा के गठन के कुछ माह के भीतर उपाध्यक्ष चुना जाना आवश्यक है।

आगे की राह:

- संसदीय जाँच: संसद को सरकार के प्रस्तावों और कार्यों पर पर्याप्त जाँच सुनिश्चित करनी चाहिये।
  - इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:
    - संसद सदस्यों की सहायता के लिये एक अनुसंधान प्रणाली स्थापित करना।
    - सांसदों को मुद्दों की जाँच करने के लिये पर्याप्त समय प्रदान करना।

नोट :

- इसके अतिरिक्त महामारी के कारण संसदीय सत्रों में हो रही कटौती के मद्देनज़र प्रोद्योगिकी आधारित समाधानों पर विचार किया जा सकता है।

- विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता: यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि संसदीय समितियों द्वारा विधेयकों और बजट की पर्याप्त जाँच की जाए और आम जनता से भी फीडबैक लिया जाए।
  - यह नागरिकों के माध्यम से यह समझने में सहायता करेगा कि किसी विधेयक का कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष सही नहीं है तथा उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है।
- विधायी प्रभाव आकलन: विधायी प्रभाव आकलन (LIA) के लिये एक विस्तृत रूपरेखा तैयार किये जाने की आवश्यकता है।
  - प्रत्येक विधायी प्रस्ताव में व्यापक जागरूकता और मूल्यांकन के लिये सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रशासनिक प्रभाव का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिये।
  - इसके अलावा विधायी नियोजन के समन्वय के लिये संसद की एक नई विधायी समिति का गठन किया जाना चाहिये।
- संसदीय समिति सुधार: संसदीय विभागीय समितियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये लंबा कार्यकाल और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं।
  - ज्ञात हो कि स्वीडन, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सभी अथवा कम-से-कम कुछ विशिष्ट विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजना अनिवार्य है।
    - भारत को भी इन देशों की तर्ज पर संसदीय समिति प्रणाली का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिये इसी तरह की अनिवार्यता संबंधी नियम बनाने चाहिये।
    - महत्त्वपूर्ण कानूनों के पारित होने में संसदीय समितियों की भूमिका को कम करना एक कमज़ोर लोकतंत्र की ओर इशारा करता है।
- विपक्ष की भूमिका को मज़बूत करना: विपक्ष की भूमिका को मज़बूती प्रदान करने के लिये छाया-मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) जैसी संस्थाओं के उपयोग पर विचार किया जा सकता है।
  - छाया-मंत्रिमंडल (शैडो कैबिनेट) संसदीय प्रणाली में संतुलन स्थापित करने के लिये सत्ताधारी दल के समकक्ष विपक्षी दल द्वारा गठित एक समानांतर मंत्रिमंडल होता है, यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का एक अनूठा संस्थान है।
  - ऐसी प्रणाली में सत्ताधारी मंत्री की प्रत्येक कार्रवाई को छाया-मंत्रिमंडल के मंत्री द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष:

- लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के काम की जाँच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में संसद की प्राथमिक और केंद्रीय भूमिका होती है। अपने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने हेतु संसद के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रभावी ढंग से कार्य करे।
- इसके अलावा कई विशेषज्ञ किसी भी विधेयक की उचित जाँच को एक गुणवत्तापरक कानून की अनिवार्य शर्त के रूप में देखते हैं। विधि निर्माण में संसदीय समितियों की भूमिका को नज़रअंदाज़ करना अथवा समाप्त करना भारतीय लोकतंत्र की भावना को कमज़ोर करता है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

एमएसएमई का डिजिटल सशक्तीकरण

संदर्भ

भारत के आर्थिक परिदृश्य को प्राय: देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के आधार पर परिभाषित किया जाता है। किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था का यह महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आज भी अप्रचलित और पुरानी प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्य करता है, जो कि उसकी उत्पादन क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है।

समावेशी विकास और संवर्द्धित आजीविका के भारत के लक्ष्य तथा 'वोकल फॉर लोकल' की धारणा के मद्देनज़र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिये ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस काफी महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं।

व्यवसायों में तेज़ी लाने की अपनी क्षमता के साथ ई-कॉमर्स, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के लिये काफी महत्त्वपूर्ण साधन हो सकता है।

इसके अलावा अधिक-से-अधिक दक्षता के लिये उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करना और बाज़ारों तक अधिक पहुँच प्राप्त करने के लिये एमएसएमई इकाइयों को ज़्यादा चैनल उपलब्ध कराना भी मौजूदा समय में काफी महत्त्वपूर्ण है।

एमएसएमई और ई-कॉमर्स

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के आँकड़ों की मानें तो देश की लगभग 51 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है।
- इन्हें प्राय: अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने के लिये विशाल बाज़ारों और आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- वर्तमान समय में एमएसएमई इकाइयों के समक्ष मौजूद चुनौतियों में कार्यशील पूंजी की कमी, आपूर्ति शृंखला संबंधी बाधा, तकनीकी चुनौतियाँ, जीएसटी अनुपालन ढाँचा, सीमित उपभोक्ता आधार आदि शामिल हैं।
  - उपर्युक्त चुनौतियों में से कई का उपाय एमएसएमई इकाइयों के डिजिटलीकरण पर निर्भर करता है, अत: यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जल्द-से-जल्द अपने व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन हेतु डिजिटल समाधानों को अपनाएँ।

ई-कॉमर्स

- ई-कॉमर्स संबंधी आँकड़ों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर समग्र खुदरा व्यापार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर पर चीन, अमेरिका और एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के देशों में।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार का अनुमानित मूल्य तकरीबन 84 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि वर्ष 2017 में 24 बिलियन डॉलर पर था।
  - इस तरह ई-कॉमर्स भारतीय एमएसएमई इकाइयों को भारतीय तथा विदेशी उपभोक्ताओं और संगठनों को आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।

एमएसएमई के डिजिटलीकरण का महत्त्व

- एमएसएमई का संपूर्ण विश्व से जुड़ाव: यह छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करता है कि वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय बाज़ार के साथ-साथ वैश्विक बाज़ार में भी पहुँचा सकें, जिससे उनके ग्राहक आधार में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ उनकी आय में बढ़ोतरी होती है।
  - यह टियर-2/3 शहरों के कारीगरों और छोटे विक्रेताओं को अपने स्थानीय ग्राहकों के साथ-साथ देश-विदेश के ग्राहकों को ऑनलाइन बिक्री करने का अवसर प्रदान करता है।

नोट :

- निवेश और आय: ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को वर्तमान में कम-से-कम लागत, नवाचार और निवेश में परिवर्तन का एक सर्वोत्तम संभव उपाय माना जा सकता है।
  - आपूर्ति शृंखला में निवेश करके ई-कॉमर्स क्षेत्र एमएसएमई इकाइयों को आपूर्ति तथा वितरण नेटवर्क में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है।
  - यह आजीविका के अवसरों के माध्यम से अतिरिक्त आय सृजन में मदद करता है और आर्थिक समृद्धि एवं समावेशी विकास में योगदान देता है।
- लागत प्रभावी: ई-कॉमर्स, भारतीय एमएसएमई इकाइयों के लिये परिचालन लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने, अधिक ग्राहक आधार बनाने और ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का उपयोगी साधन बन सकता है।
  - ऑनलाइन माध्यम एमएसएमई इकाइयों को बहुत ही कम मूल्य पर बाज़ार पहुँच प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपनी क्षमता विकास पर अधिक निवेश कर सकते हैं।

संबंधित चुनौतियाँ

- जीएसटी छूट का अभाव: नियमों के मुताबिक, 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है।
  - हालाँकि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस विक्रेताओं को इंट्रा-स्टेट आपूर्ति के लिये जीएसटी संबंधी यह छूट नहीं मिलती है, यह छूट केवल ऑफलाइन विक्रेताओं को मिलती है।
  - चाहे उनका वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए से कम ही क्यों न हों, किंतु फिर भी उन्हें अनिवार्य तौर पर जीएसटी पंजीकरण कराना होता है।
- 'व्यवसाय के मुख्य स्थान' (PPoB) का सिद्धांत: ई-कॉमर्स में प्राय: सभी ऑनलाइन विक्रेताओं के लिये व्यवसाय हेतु भौतिक स्थान उपलब्ध होना संभव नहीं होता है।
  - इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई इकाइयों के लिये पंजीकरण कराना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।
- उचित अवसंरचना और प्रौद्योगिकी तक पहुँच का अभाव: नवीनतम स्मार्ट उपकरणों का प्रयोग, बेहतर इंटरनेट सेवाएँ, डिजिटल सिस्टम के प्रबंधन हेतु कुशल कर्मचारी और भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना के रखरखाव आदि से संबंधित कार्य छोटी एवं नवसृजित कंपनियों के लिये काफी महँगा होता है।
- जागरूकता का अभाव: अभी भी देश में कई छोटे एवं मध्यम उद्यम ऐसे हैं, जो डिजिटल परिवर्तन के प्रभावों से अनजान हैं, जिसके कारण नीति निर्माताओं के लिये उनमें परिवर्तन लाना काफी चुनौतीपूर्ण है।
  - इसके अलावा एमएसएमई इकाइयाँ प्राय: डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसे बढ़ावा देने की इच्छुक नहीं होती हैं, इसके अलावा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ काफी तीव्रता से विकसित होती हैं और ये इकाइयाँ उन्नति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं।
- डेटाबेस का रखरखाव: व्यावसायिक निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण संरचित एवं असंरचित डेटा का भंडारण, विश्लेषण और प्रबंधन करना एमएसएमई इकाइयों के लिये चुनौतीपूर्ण होता है।
  - डेटा, क्लाउड और सिस्टम प्रबंधन के साथ-साथ इनके रख-रखाव के लिये आवश्यक प्रशिक्षण जैसे विषय एमएसएमई इकाइयों के लिये परेशानी का सबब हो सकते हैं।

आगे की राह:

- मौजूदा योजनाओं का प्रौद्योगिकी के साथ समन्वयन: एमएसएमई के लिये ऑफलाइन और भौतिक बाज़ार को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजनाओं की पहचान करना और ऑनलाइन बिक्री माध्यमों के अनुरूप उनमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिये एमएसएमई इकाइयों को बाज़ारों तक पहुँचने और डिजिटल मार्केटिंग में निवेश करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल मोड में हस्तांतरण करना चाहते हैं।
  - कौशल नीतियों और कार्यक्रमों में ई-कॉमर्स सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।

नोट :

- ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात में वृद्धि: ई-कॉमर्स के माध्यम से देश के समग्र निर्यात को बढ़ाने हेतु विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें:
  - उन उत्पादों की पहचान जिनका निर्यात करना संभव है।
  - निर्यात उन्मुख विनिर्माण समूहों को ई-कॉमर्स से जोड़ना।
  - सेक्टर-विशिष्ट निर्यात संवर्द्धन परिषदों के साथ संबंधों को प्रोत्साहित करना।
  - ई-कॉमर्स निर्यात क्षेत्र बनाने के लिये मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का लाभ उठाना।
- ई-कॉमर्स और विदेश व्यापार नीति: देश की विदेश व्यापार नीति में ऑनलाइन विक्रेताओं के लिये ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी आवश्यक है, जो वैश्विक बाज़ारों में सफलता प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं, इसके अलावा देश की विदेश व्यापार नीति में ई-कॉमर्स निर्यात विशिष्ट प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
  - ई-कॉमर्स निर्यात के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने वाले विशिष्ट नीतिगत प्रावधान।
  - ई-कॉमर्स निर्यात का डिजिटलीकरण।
- बड़ी टेक कंपनियों की भूमिका: कई बड़ी टेक कंपनियाँ छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमों की व्यावसायिक दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाकर उनका समर्थन कर रही हैं।
  - 'गूगल एडवांटेज', गूगल की एक ऐसी पहल है जो एमएसएमई इकाइयों को बढ़ते ऑनलाइन ग्राहक आधार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।
  - 'गूगल माय बिज़नेस' को विशेष रूप से स्टार्टअप्स और एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करने के लिये विकसित किया गया है।
- 'व्यवसाय के मुख्य स्थान' (PPoB) संबंधी सिद्धांत का सरलीकरण: सरकार 'व्यवसाय के मुख्य स्थान' (PPoB) संबंधी आवश्यकता को विशेष रूप से ऑनलाइन विक्रेताओं के लिये डिजिटल रूप प्रदान कर और सरल बना सकती है।
  - 'व्यवसाय के मुख्य स्थान' संबंधी सिद्धांत को 'संचार के स्थान' के सिद्धांत के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
  - राज्य विशिष्ट भौतिक PPoB की आवश्यकता को समाप्त करने से विक्रेताओं को राज्य-स्तरीय जीएसटी प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी।

निष्कर्ष:

- भारत की विकास गाथा में छोटी इकाइयों, कुटीर इकाइयों और एमएसएमई इकाइयों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
  - ये छोटे क्षेत्र यदि प्रभावी रूप से डिजिटल रूप से सक्षम हो जाते हैं, तो आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, आय स्तर को बढ़ाने में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।
- एमएसएमई इकाइयों के लिये डिजिटल कुशलता के साथ ऑनलाइन बाज़ार में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होता है। इसके अभाव में एमएसएमई क्षेत्र भविष्य के लिये तैयार नहीं हो सकता है।

बैड बैंक: पक्ष और विपक्ष

संदर्भ

बैंकिंग क्षेत्र पर निर्भर भारत जैसी अर्थव्यवस्था के बेहतर ढंग से संचालन के लिये सुलभ वित्तीय सेवाओं और ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु बैंकों की अच्छी स्थिति होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि कई वर्षों से भारतीय बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) संकट से जूझ रहे हैं जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याएँ व्याप्त हैं।

इसके अलावा कोरोना वायरस संकट के कारण आर्थिक विकास में गिरावट ने बैंकिंग क्षेत्र के तनाव को और बढ़ा दिया है। इसलिये बैंकों की स्थिति को पुन: बहाल करने के लिये बजट 2021 में समस्या समाधान के एक उपाय यानी राष्ट्रीय बैड बैंक स्थापित करने का विचार प्रस्तावित किया गया है । हालाँकि बैड बैंक का विचार अपने आप में बहस का विषय है।

नोट :

बैड बैंक क्या है

- बैड बैंक एक ऐसी इकाई है जो बैड लोन या गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के एग्रीगेटर के रूप में कार्य करता है और उन्हें बैंकिंग क्षेत्र से रियायती मूल्य पर खरीदता है, फिर उनके पुनर्भरण/रिकवरी और समाधान/रिज़ॉल्यूशन की दिशा में काम करता है।
- इन ऋणों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वे पहले से ही डिफ़ॉल्ट रूप में हैं। ये बैड लोन बैंक की बैलेंसशीट पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (Asset Reconstruction Company- ARC) के समान है, जहाँ वह बैंकों से इन ऋणों को स्थानांतरित करते हुए अधिकतम संभव राशि वसूलने का प्रबंधन करता है।

बैड बैंक के लिये प्रस्तावित मॉडल

बजट 2021 में एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी और परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company- AMC) की संरचना का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें ARC ऋण एकत्र करेगा, जबकि AMC एक संकल्प प्रबंधक के रूप में कार्य करेगा।

- प्रस्तावित संरचना उधारदाताओं से कुल संपत्ति अर्जित करने के लिये एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARC) की स्थापना की परिकल्पना करती है, जिसे राष्ट्रीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (NAMC) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान (Stressed Asset Resolution) के लिये समर्पित एक कुशल और पेशेवर सेट-अप को रणनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी के लिये रणनीतिक निवेशकों, AIF, विशेष स्थिति फंड (Special Situation Fund), तनावग्रस्त परिसंपत्ति फंड आदि के माध्यम से तनावग्रस्त परिसंपत्ति में संस्थागत फंडिंग को आकर्षित करने के लिये प्रयोग में लाया जाएगा।
- इसके अलावा इन तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को बैड बैंकों में स्थानांतरित करने से नकदी में 15% और संप्रभु गारंटीशुदा सुरक्षा प्राप्तियों (Sovereign Guarantee Security Receipts) में 85% की वसूली होगी। इसमें सरकार द्वारा निश्चित समय के लिये शून्य-जोखिम भार की गारंटी दी जाती है।
- इस दृष्टिकोण का शुद्ध प्रभाव एक खुली प्रक्रिया और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिये एक जीवंत बाज़ार का निर्माण करना होगा।

बैड बैंकों के पक्ष में तर्क

- बैंकों को उधार देने का प्रावधान: बैड बैंक के तहत वसूल किये गए मूल्य और महत्त्वपूर्ण उधार लाभ शामिल हैं:
  - पूंजी को पूरी तरह से प्रावधानित खराब परिसंपत्तियों (Provisioned Bad Assets) से कम मूल्य पर मुक्त किया जाता है।
  - संप्रभु गारंटी (Sovereign Guarantee) के कारण पूंजी सुरक्षा प्राप्तियों से मुक्त हो गई।
  - नकद प्राप्तियाँ जो बैंकों में वापस आती हैं और उधार के लिये लीवरेज की जा सकती हैं, को बैलेंसशीट के सामान्य प्रावधानों से मुक्त किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मिसाल: एक बैड बैंक की कई अंतर्राष्ट्रीय सफलता की कहानियाँ उसके मिशन को सकारात्मकता प्रदान करती है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत में इन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है।
  - वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिका ने संकटग्रस्त परिसंपत्ति राहत कार्यक्रम (TARP) लागू किया, जिसने इस संकट से निकलने में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान की।
  - इस प्रकार की अवधारणा एक बैड बैंक के विचार के समरूप ही बनाई गई थी।
- क्रेडिट फ्लो पोस्ट-कोविड का पुनरुद्धार: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एक बैड बैंक 5 लाख करोड़ से अधिक की NPA पूंजी मुक्त करने में मदद कर सकता है, ये बैड लोन के कारण आर्थिक रूप से संकटग्रस्त होते हैं।

बैड बैंक के विपक्ष में तर्क

- स्थायी समाधान नहीं: यह तर्क दिया जाता है कि एक बैड बैंक बनाने से समस्या का केवल स्थानांतरण हो रहा है।
  - NPA समस्या को हल करने के लिये बुनियादी सुधारों के बगैर बैड बैंक बिना किसी वसूली के बैड लोन का एक गोदाम बनने की संभावना है।

नोट :

- कठिन राजकोषीय स्थिति: इसके अलावा एक महत्त्वपूर्ण चिंता बैड बैंक के लिये पूंजी के संग्रहण की है। महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त संपत्तियों के लिये खरीदार ढूँढना मुश्किल है और सरकार भी एक कठिन वित्तीय स्थिति से गुज़र रही है।
- स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव : इसके अलावा यह निर्धारित करने के लिये कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है कि किस मूल्य और किन ऋणों को बैड बैंक में स्थानांतरित किया जाना चाहिये। यह सरकार के लिये राजनीतिक चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।
- नैतिक जोखिम: रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि बैड बैंक स्थापित करने से बैंकों के बीच नैतिक जोखिम की समस्या भी पैदा हो सकती है, इससे वे अपने लापरवाहपूर्ण ऋण देने के तरीकों को जारी रखेंगे, जिससे NPA समस्या और भी बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष:

जब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रबंधन राजनेताओं और नौकरशाहों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तब तक उनकी व्यावसायिकता में कमी बनी रहेगी और बाद में इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

इसलिये बैड बैंक एक अच्छा विचार है, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं जैसी मुख्य चुनौती से निपटने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को बेहतर बनाने के लिये सुधार किया जाना ज़रूरी है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

क्वाड: प्रथम शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में क्वाड समूह के चार देशों के नेताओं ने पहली बार आभासी शिखर-स्तरीय बैठक में डिजिटल रूप से मुलाकात की। क्वाड देशों के नेताओं द्वारा चर्चित विषयों में वैक्सीन पहल और अन्य संयुक्त कार्य समूहों के साथ महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करना शामिल है।

'स्पिरिट ऑफ क्वाड' शीर्षक से इस बैठक के एक संयुक्त बयान में नेताओं ने खुले, मुक्त एवं दवाब रहित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जाहिर की।

क्वाड समूह ने पहले शिखर सम्मेलन में अपने प्राथमिक विज़न को केवल सैन्य सुरक्षा के मुद्दे तक सीमित न करके इसे विशाल इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के सार्वजनिक हितों तक विस्तरित किया है, जिससे इसकी दीर्घकालिक राजनीतिक संभावनाएँ और स्पष्ट हो गई हैं।

अभी तक यह धारणा थी कि क्वाड केवल एक "टॉक-शॉप" है, परंतु इस शिखर सम्मेलन में व्यापक विषयों पर हुई चर्चा तथा प्रतिबद्धता ने इस धारणा को गलत सिद्ध कर दिया है।

क्वाड शिखर सम्मेलन का महत्त्व:

- 'अमेरिका इज़ बैक' नीति: अमेरिका द्वारा क्वाड बैठक के लिये आगे आना जो बाइडेन के उस वायदे का हिस्सा है, जो कि वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में "अमेरिका इज़ बैक" की नीति, क्षेत्रीय गठबंधनों की फिर से पुष्टि और चीन से बढ़ती चुनौतियों से पार पाने से संबंधित है।
  - इससे पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बाइडेन ने चीन का मुकाबला करने के लिये एक ट्रांस अटलांटिक गठबंधन का प्रस्ताव रखकर यूरोपीय सहयोगियों जैसे- जर्मनी, फ्राँस और यूनाइटेड किंगडम को वापस एक समूह के रूप में लाने की कोशिश की।
- जापान और ऑस्ट्रेलिया की समुद्री चिंताएँ: चीन के साथ व्यापार और दूरसंचार मुद्दों पर समुद्री तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया एवं जापान क्वाड समूह में सहयोग के गहन स्तर पर भागीदारी करने को उत्सुक हैं।
  - क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर रहने के भारत के निर्णय पर जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड सहयोगी नाखुश थे।
  - अगर क्वाड एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरता है, तो यह संपूर्ण भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिये फायदेमंद होगा।
- भारत के भू-राजनीतिक क्षितिज का विस्तार: चीन के साथ LAC विवाद के तनावपूर्ण वर्ष के बाद भारत को क्वाड के माध्यम से अधिक रणनीतिक समर्थन प्राप्त होगा।
  - यह भारत की फार्मास्युटिकल क्षमता , टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप का अवसर तथा विकास परियोजनाओं पर क्षेत्रीय सहयोग के लिये और अधिक सहायता प्रदान करके बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देगा।
  - समावेशी दृष्टिकोण पर भारत का आग्रह क्षेत्र के कई छोटे देशों की भावनाओं को ध्यान में रखना था, जो चीन विरोधी स्थिति को प्रकट नहीं कर पाते हैं।
  - इससे भारत के लिये क्वाड देशों हेतु विनिर्माण गंतव्य बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और चीन पर निर्भरता कम हो सकती है।
- क्वाड का नया दृष्टिकोण: क्वाड सदस्य देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में वितरण हेतु कोविड-19 वैक्सीन की एक बिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिये अपने संसाधनों (अमेरिकी प्रौद्योगिकी, जापानी वित्त, भारतीय उत्पादन क्षमता और ऑस्ट्रेलिया की रसद क्षमता) को एकत्रित करने का निर्णय लिया।
  - इसके अलावा क्वाड देशों ने पेरिस समझौते के आधार पर उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला, 5 जी नेटवर्क और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति व्यक्त की।
  - इससे इन चार देशों को क्वाड के लिये एक नया दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलेगी।

नोट :

क्वाड से संबंधित विषय:

- RCEP परिचालन संबंधी मुद्दा: जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिये चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, इस संदर्भ में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वाड सदस्य देशों के लिये रणनीतिक रूप से अमेरिका और भारत के साथ गठबंधन करना मुश्किल होगा।
- भारतीय पक्ष: भारत, LAC सैन्य वापसी वार्ता के प्रति संवेदनशीलता तथा ब्रिक्स और एससीओ समूहों में अपनी अन्य बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को लेकर भी क्वाड समूह सहयोग में नरमी दिखा रहा है।
- चीन विरोधी बयानबाजी: वर्ष 2007 में क्वाड के निर्माण की दिशा में पहले कदम के बाद से चीन ने इस समूह को "एशियाई नाटो" और "नए शीत युद्ध" के अग्रदूत के रूप में वर्णित कर क्षेत्रीय संवाद को परिभाषित करने की मांग की है।
  - वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास के साथ क्वाड के संबंध ने इसकी छवि को एक सैन्य संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है और इसने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बहुत अधिक शंकाएँ उत्पन्न की हैं।

आगे की राह:

- उद्देश्य स्पष्ट करने की आवश्यकता: क्वाड राष्ट्रों को सभी देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक व्यापक ढाँचे के माध्यम से इंडो-पैसिफिक विज़न को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है।
  - यह भारत-प्रशांत क्षेत्र के तटीय राज्यों को आश्वस्त करेगा कि क्वाड क्षेत्रीय लाभ के लिये बनाया गया एक समूह है, जिससे चीन द्वारा लगाए जा रहे 'सैन्य गठबंधन' संबंधी आरोपों का भी खंडन हो सकेगा।
- विस्तारित क्वाड: भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के कई अन्य साझेदार हैं, इसलिये भारत को भविष्य में इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों को इसमें शामिल करने का प्रयास करना चाहिये।
- समुद्री सिद्धांत की आवश्यकता: भारत को भारत-प्रशांत के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिये जो वर्तमान और भविष्य की समुद्री चुनौतियों पर विचार करे, अपने सैन्य और गैर-सैन्य उपकरणों को मज़बूत करे तथा अपने रणनीतिक साझेदारों को संलग्न करे।
- चीन को विश्वास में लेने की आवश्यकता: जैसा कि क्वाड शिखर सम्मेलन से एंटी-चाइना छवि विकसित हुई है, यह अब चीन पर निर्भर है कि वह अपनी मौजूदा आक्रामक नीतियों पर पुनर्विचार करे और अपने एशियाई पड़ोसियों तथा अमेरिका के साथ साझा संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करे।

निष्कर्ष:

महामारी से उत्पन्न चुनौतियों ने क्वाड राष्ट्रों को क्षेत्र की तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक एजेंडे के लिये अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझा चुनौतियों से निपटने के लिये क्वाड का पुनरुत्थान लंबी अवधि में इस समूह की राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण उत्पन्न नैतिक चुनौतियाँ

संदर्भ:

पिछले एक दशक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) का विकास अभूतपूर्व गति से हुआ है। पहले से ही इसका उपयोग फसलों की पैदावार बढ़ाने, व्यापार उत्पादकता को बढ़ाने, ऋण में सुधार तथा रोग का पता लगाने में तीव्रता एवं सटीकता के साथ किया जा रहा है।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक AI का उपयोग करते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से अधिक डेटा उत्पन्न करते हैं और जैसे-जैसे ये प्रणालियाँ अधिक सक्षम होती जाती हैं, विश्व और अधिक कुशल होता जाता है और इसके फलस्वरूप वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

एक अनुमान के अनुसार, वर्ष 2030 तक विश्व अर्थव्यवस्था में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का योगदान 15 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है तथा वैश्विक जीडीपी में 14% की भागीदारी की उम्मीद है। सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) पर AI के प्रभाव की समीक्षा करते हुए नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि यह सभी SDGs को प्राप्त करने में 79% तक कार्य कर सकता है।

हालाँकि एक ओर जिस तरह से AI के प्रयोग द्वारा अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, वहीँ दूसरी ओर यह मौजूदा समस्याओं में और अधिक वृद्धि के साथ नई समस्याओं को भी जन्म दे सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न चुनौतियाँ:

- बेरोज़गारी का खतरा: श्रमिकों का पदानुक्रम मुख्य रूप से स्वत: संचालित (Automation) होता है। रोबोटिक्स और AI कंपनियों द्वारा उन बुद्धिमान मशीनों का निर्माण किया जा रहा है जो सामान्यत: कम आय वाले श्रमिकों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को करने में सक्षम हैं जैसे- बैंक कैशियर (Bank Cashiers) के कार्यों को करने हेतु स्वयं सेवा कियोस्क (Self-Service Kiosks) का उपयोग, फलों को चुनने वाले रोबोट द्वारा फील्ड में कार्य करने वाले लोगों को प्रतिस्थापित करना।
  - इसके अलावा वह दिन दूर नहीं जब AI के उपयोग के कारण कई डेस्क जॉब्स समाप्त हो जायेंगे जैसे- एकाउंटेंट (Accountants), वित्तीय व्यापारी (Financial Traders) और मध्य स्तरीय प्रबंधक (Middle Managers)।
- बढ़ती असमानताएँ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक कंपनी मानव कार्यबल में भारी कटौती कर सकती है, जिसका तात्पर्य है, कम लोगों तक राजस्व का वितरण।
  - परिणामस्वरूप जिन व्यक्तियों के पास AI संचालित कंपनियों का स्वामित्व है, वे सभी अधिक पैसे कमाएंगे। इसके अलावा AI का उपयोग डिजिटल बहिष्करण (Digital Exclusion) को भी बढ़ा सकता है।
  - इसके अलावा उन देशों में अधिक निवेश स्थानांतरित होने की संभावना है जहाँ पहले से ही AI से संबंधित कार्य किये जा रहे हैं जो देशों के भीतर और विभिन्न देशों के मध्य अधिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
  - इसलिये श्रमिकों के बचाव हेतु बगैर स्पष्ट नीतियों के नए अवसरों को शामिल करने से नई गंभीर असमानताएँ उत्पन्न होंगी।
- प्रौद्योगिकी की लत: तकनीकी लत मानव की एक सीमा निर्धारित करती है। AI का उपयोग पहले से ही मानव ध्यान को निर्देशित करने और कुछ कार्यों को अपने अनुसार नियंत्रित करने हेतु किया जा रहा है।
  - तकनीकी का सही इस्तेमाल समाज को अधिक लाभकारी बनाने का अवसर प्रदान करता है, वहीँ इसके गलत हाथों में जाने से यह समाज के खिलाफ भी साबित हो सकता है।

नोट :

- भेदभावपूर्ण रोबोट: हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि AI प्रणाली मनुष्य द्वारा निर्मित है, जिसकी कार्य प्रणाली पक्षपातपूर्ण हो सकती है।
- यह लोगों की पहचान उनके चेहरे के रंग और अल्पसंख्यकों के आधार पर करता है।
- डेटा गोपनीयता की समस्या: AI के उपयोग से डेटा गोपनीयता से संबंधित गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं। जटिल एल्गोरिदम में विशाल मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण प्राय: आम लोगों के डिजिटल फुटप्रिंट को बिना उनकी जानकारी अथवा सूचित सहमति के बेचा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है।
  - कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला, जिसमें इस प्रकार के एल्गोरिदम और बड़े डेटा का प्रयोग वोटिंग में हेर-फेर करने हेतु किया गया था। वर्तमान में AI बिजनेस मॉडल से उत्पन्न व्यक्तिगत और सामाजिक चिंताओं को चेतावनी के रूप में लेने की आवश्यकता है।
- मनुष्यों के विरुद्ध AI का उपयोग: क्या होगा अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही इंसानों के खिलाफ हो जाए?
  - एक ऐसी AI प्रणाली की कल्पना कीजिये जिसे विश्व में कैंसर को समाप्त करने हेतु कहा जाता है। काफी गणना के बाद इस प्रणाली द्वारा एक ऐसे सूत्र निर्मित किया जाता है जिससे वास्तव में कैंसर को समाप्त किया जा सकता है परंतु ग्रह पर उपस्थित सभी लोगो को मारकर।

आगे की राह:

- सामाजिक दृष्टिकोण: भारत सहित कई देश, अवसरों और जोखिमों के प्रति जागरूक हैं, जो AI के अधिक उपयोग और AI शासन के मध्य सही संतुलन बनाते हुए लोगों की भलाई के लिये कार्य कर रहे हैं।
  - नीति आयोग द्वारा निर्मित 'रेस्पॉसिबल AI फॉर आल' रणनीति इस संदर्भ में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
  - बहु-हितधारक शासन संरचना जो यह सुनिश्चित करती है कि लाभांश उचित, समावेशी और न्यायपूर्ण हो, AI के बिना हमारे डिजिटल भविष्य को उचित प्रकार से अनुकूलित नहीं कर सकती है।
  - इस परिदृश्य में AI गवर्नेंस (AI governance) हेतु "पूरे समाज" का दृष्टिकोण हमें व्यापक- नैतिकता आधारित सिद्धांतों, संस्कृतियों और आचार संहिता को विकसित करने में सक्षम बनाएगा ताकि AI को विकसित कर सामाजिक विश्वास को जीता जा सके तथा साधारण वादों को पूरा किया जा सके ।
- वैश्विक दृष्टिकोण: AI की वैश्विक पहुँच को देखते हुए इसे "पूरे समाज" के दृष्टिकोण से "संपूर्ण विश्व" के दृष्टिकोण पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये।
  - डिजिटल सहयोग हेतु संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा प्रस्तुत रोडमैप एक अच्छी पहल है।
    - इस प्रकार यूनेस्को द्वारा सदस्य देशों हेतु AI पर विचार-विमर्श करने और इसे अपनाने के लिये एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक वैश्विक, व्यापक मानक मसौदे की सिफारिश की गई है।

निष्कर्ष:

जिस प्रकार से विद्युत का उपयोग समय की बचत में सहायक है, उसी प्रकार AI का उपयोग वस्तुत: अस्तित्व के हर पहलू को मौलिक रूप में तब्दील करने में सहायक है जो जलवायु परिवर्तन शमन, शिक्षा और वैज्ञानिक खोज हेतु नए एवं उच्चतर अकल्पनीय रास्ते खोलने, भूख, गरीबी और बीमारी के उन्मूलन की ओर ले जा सकता है।

हालाँकि नैतिक मानदंडों के अभाव में AI का प्रयोग सामाजिक तथा आर्थिक अंतराल के साथ ही किसी जन्मजात पूर्वाग्रह को अपरिवर्तनीय तौर पर और अधिक बढ़ाएगा तथा भेदभावपूर्ण परिणामों को उत्पन्न करेगा।

ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात

संदर्भ:

हाल ही में भारत और फिलीपींस के मध्य 'रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद' हेतु 'क्रियान्वयन समझौते' (Implementing Arrangement) पर हस्ताक्षर किये गए हैं। यह समझौता दोनों देशों के मध्य ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल के भावी निर्यात हेतु आवश्यक आधार प्रदान करता है।

नोट :

इसके अलावा भारत द्वारा कई देशों जैसे- वियतनाम, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका आदि के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की बिक्री हेतु उच्च स्तरीय वार्ता की जा रही है।

भारत द्वारा विश्व के अन्य देशों को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का निर्यात किया जाना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्यातक के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा तथा वर्ष 2025 तक रक्षा निर्यात में 5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में यह भारत की स्थिति को और मज़बूत करेगा। हालाँकि, इस प्रणाली के निर्यात में कई प्रकार की चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:

- 1990 के दशक के अंत में ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल प्रणाली का अनुसंधान और विकास का कार्य शुरू हुआ।
- इसे ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड (BrahMos Aerospace Limited) द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation) तथा रूस के सैन्य औद्योगिक कंसोर्टियम एनपीओ मशिनोस्ट्रोयेनिया के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया है ।
- यह सेना में शामिल होने वाली पहली सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है।
- इसकी गति 2.8 मैक (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) तथा इसकी रेंज 290 किमी. है (इसके नए संस्करण की रेंज 400 किमी. तक है) अर्थात् यह 290 किमी. की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है।
- ब्रह्मोस की तीव्र गति के कारण सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों द्वारा इसे बाधित करना वायु रक्षा प्रणालियों के लिये मुश्किल होगा।
- ब्रह्मोस के नौसैनिक और भूमि संस्करण को क्रमश: वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना और वर्ष 2007 में भारतीय सेना द्वारा सेवा में शामिल किया जा चुका है।
- इसी क्रम में भारतीय वायु सेना द्वारा नवंबर 2017 में अपने सुखोई-30 एमकेआई फाइटर जेट से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिससे तीनों क्षेत्रों (जल, थल, वायु) में इस मिसाइल ने अपने प्रभावशालिता साबित कर दिया ली है।
- इसके अलावा इस मिसाइल की गति और रेंज को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है, जिसमें इसकी गति को हाइपरसोनिक गति (मैक 5 या उससे ऊपर) और 1,500 किमी. की अधिकतम रेंज को प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- ब्रह्मोस की यह उन्नत और शक्तिशाली क्षमता न केवल भारतीय सेना की क्षमता में वृद्धि करेगी, बल्कि अन्य देशों के लिये भी इसे खरीदने हेतु एक उच्च वांछनीय उत्पाद बनाती है।

ब्रह्मोस के निर्यात का महत्त्व:

- इसके अलावा भारत द्वारा चीन को प्रतिसंतुलित करने हेतु अमेरिका, जापान और आसियान देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मज़बूत बनाया गया है।
  - इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में मज़बूत उपस्थिति: इसका अर्थ है कि फिलीपींस, ब्रह्मोस का आयात करने वाला पहला देश बन जाएगा, जो इंडो-पैसिफिक में व्यापक और परिणामी साबित होगा।
- चीन की सैन्य हठधर्मिता से निपटना: फिलीपींस और वियतनाम जैसे आसियान देशों को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली बेचने का भारत का निर्णय उसके पड़ोस में चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता के बारे में चिंताओं को दर्शाता है।
  - इसके अलावा भारत, चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करता है।
- भारत की भू-राजनीतिक सीमा का विस्तार: ब्रह्मोस का निर्यात भारत की अर्थव्यस्था को मज़बूती प्रदान करेगा, यह भारत को एक कठोर एवं मज़बूत शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा तथा इंडो-पैसिफिक देशों के मध्य एक मज़बूत आधार प्रदान करेगा जिस पर वे अपनी संप्रभुता और क्षेत्र की रक्षा करने हेतु विश्वास कर सकते हैं।
- आयातक से निर्यातक में परिवर्तित: सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बेचने से भारत की स्थिति में बदलाव आएगा कि जो अब तक विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक देशों में शामिल था, खुद एक प्रमुख रक्षा निर्यातक देश के रूप में स्थापित होगा।

नोट :

- इसके अलावा यह देश को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने में मदद करेगा, साझेदारों को मज़बूती प्रदान करेगा तथा राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को बढ़ाएगा।
- वर्तमान परिदृश्य में वर्ष 2016-20 के दौरान वैश्विक स्तर पर हथियारों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी, जो वैश्विक स्तर पर भारत को प्रमुख हथियारों के मामले में 24वाँ सबसे बड़ा निर्यातक देश बनाता है।

ब्रह्मोस के निर्यात से संबंधित चुनौतियाँ:

- CAATSA: ब्रह्मोस का निर्यात अमेरिका द्वारा प्रतिद्वंद्वियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act-CAATSA) के प्रावधानों के अधीन है।
  - संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि भारत का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, ने इस बात पर अस्पष्टता बनाए रखी है कि क्या CAATSA के प्रावधान भारत द्वारा एस-400 के अधिग्रहण, एके-203 असॉल्ट राइफल के अधिकृत उत्पादन और ब्रह्मोस के निर्यात पर लागू होंगे अथवा नहीं।

नोट

- अब तक तुर्की और चीन को रूस से एस-400 ट्रायम्फ नामक वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिये CAATSA के तहत दंडित किया जा चुका है।
- एनपीओ मशिनोस्ट्रोएनिया सूचीबद्ध रूसी संस्थाओं में से एक है जिसके द्वारा ब्रह्मोस में प्रयुक्त होने वाले 65% घटक, जिसमें रैमजेट इंजन और रडार आदि शामिल हैं।
  - इस तरह यदि भारत ब्रह्मोस का निर्यात करता है तो प्रतिबंध लगाए जाने की प्रबल संभावना है।
- रूस-चीन रक्षा सहयोग: क्रीमिया के अधिग्रहण के बाद रूस द्वारा चीन के साथ संबंध सुधारने की काफी कोशिश की गई है।
  - रूस वर्तमान में चीन को सामरिक महत्त्व की अन्य संयुक्त परियोजनाओं के साथ एक मिसाइल अटैक वार्निंग सिस्टम (Missile-Attack Warning System) के विकास में मदद कर रहा है जो केवल रूस और अमेरिका के पास है।
  - इस प्रकार रूस-चीन रणनीतिक संबंध ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- वित्तपोषण: कोविड-19 महामारी से प्रभावित कई देश जो ब्रह्मोस में रुचि रखते हैं, उनके लिये इसकी खरीद करना मुश्किल होगा।

आगे की राह:

- CAATSA के मुद्दे पर अमेरिका के साथ जुड़ाव: कुछ विश्लेषकों का मानना है कि CAATSA, जिसका रूस पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, का उपयोग अमेरिका द्वारा 'भारत को अमेरिका से अतिरिक्त सैन्य उपकरण आयात करने के लिये राज़ी करने हेतु किया जा सकता है।
  - इसके अलावा भारत द्वारा आसियान देशों को ब्रह्मोस का निर्यात चीन के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार भारत को CAATSA से छूट प्राप्त करने हेतु नए अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत करनी चाहिये।
- लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करना: फिलीपींस के साथ एक समझौते पर आगे बढ़ने में लागत एक बड़ी बाधा रही है। इसके लिये भारत द्वारा 100 मिलियन डॉलर के क्रेडिट लाइन की पेशकश की गई है।
- स्वदेशी रक्षा उत्पादन: ब्रह्मोस का संयुक्त विकास इसके निर्यात को लेकर कई जटिलताएँ पैदा कर सकता है।
  - इसलिये यदि भारत एक प्रमुख रक्षा निर्यातक देश बनना चाहता है, तो उसे रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण का प्रयास करना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत स्वयं को वैश्विक स्तर पर रक्षा विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, ऐसे में इंडो-पैसिफिक में एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत के संभावित उद्भव पर इस बात का काफी प्रभाव पड़ेगा कि वह ब्रह्मोस के निर्यात के मुद्दे को किस प्रकार संबोधित करता है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

भारतीय जलवायु राजनीति

संदर्भ:

वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के लिये वर्ष 2021 एक महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस वर्ष जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change- IPCC) अपनी रिपोर्ट जारी करेगा और यूनाइटेड किंगडम (यूके) में आयोजित जलवायु सम्मेलन में पक्षकारों की उत्सर्जन सीमाओं पर राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को अद्यतन किये जाने की अपेक्षा है। इसके अतिरिक्त जो बाइडेन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

इसके अलावा हाल ही में भारत ने वर्ष 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह प्रतिबद्धता जलवायु नेतृत्व को स्वीकार करते हुए भारत को कूटनीतिक श्रेय प्रदान करेगी। हालाँकि ये राजनयिक लाभ घरेलू विकासात्मक उद्देश्यों को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि नीति और प्रौद्योगिकी में बड़े बदलाव के बिना भारत को कम उत्सर्जन करते हुए अधिक विकास के विकल्प की आवश्यकता है। इसलिये भारत को अपने रणनीतिक कार्बन उत्सर्जन को सीमित रखते हुए अधिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

वैश्विक जलवायु राजनीति में भारत की चुनौतियाँ

- लक्ष्य प्राप्त न होने की आशंका: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा किया गया विश्लेषण परिवर्तन के इस पैमाने को दर्शाता है कि भारत को अपने कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिये सामान्य नीतियों को स्थायी विकास से स्थानांतरित करने हेतु तत्काल बड़े बदलाव की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा इस बड़े बदलाव के बाद भी नेट ज़ीरो उत्सर्जन की स्थिति वर्ष 2065 तक प्राप्त की जा सकेगी, ऐसे में वर्ष 2050 का लक्ष्य निर्धारण एक चुनौती है।
  - साथ ही वर्तमान लक्ष्य तात्कालिक कार्रवाई के बजाय भविष्य के वादों और वातावरण से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये अनिश्चित प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करता है।
- साइलो-आधारित जलवायु निर्णय: भारत की जलवायु शासन संरचना साइलो-आधारित निर्णयों के लिये डिज़ाइन की गई है, जबकि जलवायु संकट के लिये पार-अनुभागीय (Cross-Sectoral) सहयोग की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये विद्युत के उपयोग से संबंधित नीति को शहरी नियोजन नीति, परिवहन प्रणाली और भवन डिज़ाइन पर निर्णय के संतुलन के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। हालाँकि भारत के नीति निर्धारण में अभी भी पार-अनुभागीय सहयोग का अभाव है।
- विकास के लिये जीवाश्म-ईंधन की आवश्यकता: यदि भारत नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे उत्सर्जन को तात्कालिक रूप से सीमित करना होगा लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही से उसकी अब तक की विकास की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है।
  - हालाँकि वर्तमान में भारत का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ रहा है और क्योंकि जटिल ऊर्जा तथा आर्थिक प्रणालियों को चालू होने में कुछ और समय लग सकता है।
  - इसके अलावा वर्तमान में उद्योग से होने वाले उत्सर्जन को सीमित करना एक दीर्घकालिक संभावना है क्योंकि भारत में प्रौद्योगिकियों की स्थिति शैशवावस्था में है और नई तकनीक एवं दृष्टिकोण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- क्षेत्रगत संक्रमणीय योजना (Sectoral Transition Plans): वर्तमान में एक व्यापक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के बजाय, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय परिवर्तन योजनाओं से संबंधित भविष्य की प्रतिबद्धता को पहचानने और नीति निर्माण की आवश्यकता है।
  - क्षेत्रगत बदलावों पर ध्यान दिए जाने की संभावना, व्यापक और विकसित होती अर्थव्यवस्था के शून्य-उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में निवेश पैटर्न को निजी क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

नोट :

- उदाहरण के लिये विद्युत क्षेत्र के संक्रमण में तेज़ी लाने के लिये वितरण कंपनियों में सुधार करने, कोयला उपभोग को सीमित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है।

- जलवायु शासन को सुदृढ़ बनाना: भारत को जलवायु शासन के लिये अपने घरेलू संस्थानों के सृजन और पहले से स्थापित संस्थानों को मज़बूत करने की आवश्यकता है। इसके लिये विकास ज़रूरतों और कम कार्बन अवसरों के बीच संबंधों की पहचान करना होगा जिसके लिये एक जलवायु कानून उपयोगी हो सकता है।
- पुन: पुष्टि करने वाले CBDR: इस आगामी जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत को "सामान्य लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारी" (Common But Differentiated Responsibility"- CBDR) के दीर्घकाल के सिद्धांत की पुन: पुष्टि करने की आवश्यकता है जिससे विकसित देशों को किसी भी प्रतिबद्धता का विरोध करने के लिये विशेष कारणों की आवश्यकता होगी जो भारत जैसे विकासशील देशों में विकास के लिये उपयोग में लाई जा रही ऊर्जा उपयोग की नीति के प्रभाव को सीमित कर रही है ।

निष्कर्ष:

भारतीय नेतृत्व की राह विशिष्ट निकट-अवधि की कार्रवाइयों, संस्थागत मज़बूती और मध्य तथा दीर्घकालिक लक्ष्यों के संयोजन पर आधारित होनी चाहिये। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के दीर्घकालिक लक्ष्यों को भविष्य के सीमित कार्बन निर्धारण के संक्रमण के हिस्से के रूप में पूरा करने के लिये (समयोपरि कार्य करने के तरीकों से सीखते हुये) कार्बन उत्सर्जन के निर्धारण की प्रतिबद्धता को अधिक स्पष्ट एवं मज़बूती से लागू किया जाना चाहिये।

नोट :

सामाजिक न्याय

जनसंख्या स्थिरीकरण

संदर्भ:

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में भारत के लिये जनसंख्या स्थिरीकरण की परिकल्पना की गई है। इसके तात्कालिक उद्देश्यों में गर्भनिरोधक, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढाँचे और कर्मियों के लिये आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करना शामिल हैं तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल हेतु एकीकृत सेवा प्रदान करना है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 ने प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर (2.1 की कुल प्रजनन दर) को वर्ष 2010 तक प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अधिकांश दक्षिणी राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है। हालाँकि उत्तरी और मध्य भारत में कम सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या विस्फोट देखा गया है।

जनसंख्या विस्फोट भारत के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित करेगा जो अगली पीढ़ी के हक एवं प्रगति को सीमित करेगा। इसलिये सरकार को समय रहते जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय अपनाने चाहिये।

जनसंख्या स्थिरीकरण की आवश्यकता

- संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुमान के अनुसार, भारत की जनसंख्या वर्ष 2030 तक 1.5 बिलियन और वर्ष 2050 में 1.64 बिलियन तक पहुँच जाएगी। इस प्रकार भारत, चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाएगा।
- वर्तमान में भारत के पास विश्व जनसंख्या का 16%, भू-भाग का 2.45% और जल संसाधनों का 4% हिस्सा मौजूद है।
- वैश्विक स्तर पर जनसंख्या विस्फोट को लेकर बहस जारी है क्योंकि हाल के पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन के बाद यह पता चला है कि अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन में मानव आबादी की अहम भूमिका है।

जनसंख्या स्थिरीकरण से संबद्ध चुनौतियाँ

- शिक्षा का स्तर: महिलाओं में शिक्षा की कमी के कारण उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, जिससे न केवल अधिक बच्चों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है बल्कि यह महिला के स्वास्थ्य को भी खतरे में डालता है।
  - प्रजनन क्षमता में आमतौर पर महिलाओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ गिरावट आती है।
- सामाजिक-आर्थिक कारक: बड़े परिवार की इच्छा, विशेष रूप से पुत्र को प्राथमिकता जैसे कारक जन्म दर में वृद्धि करते हैं।
  - पुत्र को वरीयता देने के प्रमुख कारणों में से एक पैतृक संपत्ति में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाना है।
  - चीन पहले से ही जनसांख्यिकीय विभीषिका का सामना कर रहा है क्योंकि लगभग चार दशक लंबी उसकी एक-बच्चे की नीति के कारण बेटों को ज़्यादा तरजीह मिली।
- गर्भनिरोधक का अपर्याप्त उपयोग: यूपी, बिहार जैसे उत्तरी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अभी भी चार या इससे अधिक बच्चों को जन्म देती हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि इन राज्यों में गर्भनिरोधक के प्रयोग की दर 10% से भी कम है।
  - इन राज्यों के अनेक ज़िलों में महिलाएँ आधुनिक परिवार नियोजन विधियों का उपयोग नहीं करती हैं, जबकि वे पारंपरिक गर्भनिरोधक विधियों पर ज़्यादा भरोसा करती हैं।
- संस ऑफ सॉइल अवधारणा: संस ऑफ सॉइल एक मौलिक अवधारणा है जो लोगों को उनके जन्म स्थान के साथ जोड़े रखती है और इस आधार पर उन्हें कुछ ऐसे विशेष लाभ, अधिकार, भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ प्रदान करती है, जो दूसरों (बाह्य लोगों) को प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

नोट :

- हालाँकि दक्षिणी राज्यों में काम करने वाले उत्तरी राज्यों के लोगों के बढ़ते प्रभाव के कारण ऐसी संभावनाएँ अनिश्चित दिखाई देती हैं।

- जनसंख्या स्थिरीकरण की राजनीति: संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2002 ने लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के आवंटन को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया। ऐसा न करने पर जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्य के प्रभावित होने की आशंका थी।
  - हालाँकि इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका क्योंकि उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि जारी रही।
  - एक और विस्तार के अभाव में अब यह राजनीतिक रूप से अस्थिर करने वाला होगा।

आगे की राह:

- महिला केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना: जनसंख्या स्थिरीकरण का आशय केवल जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने से संबंधित नहीं है, बल्कि यह लैंगिक समानता को भी दर्शाता है। संतुलित लैंगिक अनुपात, सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने के लिये भी आवश्यक है।
  - इसलिये राज्य को महिला केंद्रित एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं की विवाह की आयु में बढ़ोतरी, गर्भनिरोधक तक आसान पहुँच, श्रम शक्ति में समान भागीदारी आदि को बढ़ावा मिले।
- आधुनिक गर्भनिरोधक उपायों को अपनाना: विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिये कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। गर्भनिरोधक के पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता को तेज़ी से विश्वसनीय और आसान विकल्पों से बदलने की ज़रूरत है।
  - इस संदर्भ में भारत को अपने पड़ोसी देशों से सीख लेनी होगी। इंडोनेशिया और बांग्लादेश वर्ष 1980 के दशक के अंत से ही इंजेक्शन द्वारा गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
  - एक बार ठीक से निष्पादित होने के बाद यह गर्भावस्था से तीन महीने तक सुरक्षा प्रदान करता है। आशा (ASHA) कार्यकर्त्ता इस संबंध में काफी मदद कर सकते हैं।
- दक्षिणी राज्यों की सफलता का अनुकरण: दक्षिणी राज्यों की प्रजनन दर में कमी उस पारंपरिक ज्ञान के विपरीत है जिसके अनुसार जनसंख्या स्थिरीकरण के लिये साक्षरता, शिक्षा और विकास आवश्यक शर्तें हैं।
  - दक्षिणी राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट का कारण यह है कि इन राज्यों की सरकारों ने लोगों से आग्रह किया कि वे केवल दो बच्चे पैदा करें और उसके तुरंत बाद नसबंदी कर दी गई।
  - लगभग पूरे राज्य तंत्र को इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये व्यवस्थित किया गया था। उत्तरी राज्यों को भी इस दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
  - इसके अलावा राष्ट्रीय और राज्य नीतियाँ पुरुष नसबंदी पर ज़ोर देती हैं जो महिला नसबंदी की तुलना में अधिक सुरक्षित है।

निष्कर्ष:

दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच जनसंख्या स्थिरीकरण का अंतर विषम रूप से बढ़ता जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में जनसांख्यिकी ग्रहणशीलता (Eclipse), आर्थिक विकास तथा इस विकास तक युवाओं की पहुँच को प्रभावित करेगी।

इस प्रकार दीर्घकालिक नीति में स्थायी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं के अनुरूप एक स्थिर जनसंख्या की आवश्यकता होती है।

अवैतनिक कार्य हेतु वेतन

संदर्भ:

भारत में प्राय: महिलाओं को अवैतनिक कार्य जैसे- घरेलू सेवाओं और देखभाल संबंधी सेवाओं का बोझ उठाना पड़ता है। यह ज़रूरी नहीं है कि महिलाएँ इस प्रकार के अवैतनिक कार्य को पसंद करती हैं अथवा वे इसमें कुशल हैं इसलिये इसमें संलग्न हैं, बल्कि पितृसत्तात्मक धारणा, जो कि लिंग असमानता का मूल कारण है, के चलते महिलाओं पर इस प्रकार के अवैतनिक कार्य थोपे जाते हैं।

यद्यपि ये कार्य घरेलू स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर समग्र कल्याण में योगदान देते हैं, किंतु राष्ट्रीय डेटाबेस एवं विशेष रूप से राष्ट्रीय नीतियों में इस प्रकार के अवैतनिक कार्यों का कोई ज़िक्र नहीं मिलता है।

नोट :

अत: लैंगिक समानता और न्याय के सिद्धांत का पालन करने हेतु इस प्रकार के अवैतनिक कार्य की पहचान करना और इस समस्या को सुधारने के लिये यथासंभव प्रावधान करना काफी महत्त्वपूर्ण है।

अवैतनिक कार्य को पहचान देने की आवश्यकता

- अवसरों को सीमित करना: महिलाएँ प्राय: पारिश्रमिक, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति आदि लाभों के बिना अदृश्य और अवैतनिक कार्य में संलग्न रहती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और जीवन में महिलाओं के लिये अवसर काफी सीमित हो जाते हैं।
  - यही वजह है कि भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी दर लगभग 25 प्रतिशत है।
- अर्थव्यवस्था में समावेशन: प्राय: महिलाओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों के लिये अवैतनिक आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और यदि जीडीपी को अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन एवं खपत को मापने का एक उपाय माना जाए, तो इसमें घर में किये जाने वाले अवैतनिक कार्यों को भी शामिल किया जाना आवश्यक है।
  - निजी स्तर पर किये गए अवैतनिक कार्य को 'लोकहित' के रूप में देखा जा सकता है, जो कि समग्र अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- निजी क्षेत्र की सहायता: वृहद स्तर पर अवैतनिक कार्य में संलग्न महिलाएँ निजी क्षेत्र को श्रमिकों (मानव पूंजी) की आपूर्ति करके और परिवार के सदस्य के रूप में श्रमिकों की देखभाल करके निजी क्षेत्र की काफी सहायता करती हैं।
- सरकार की सहायता: इसी तरह अवैतनिक कार्य में संलग्न महिलाएँ वृद्ध, बीमार और दिव्यांग लोगों की देखभाल कर सरकार की भी सहायता करती हैं जिसके अभाव में ऐसे कार्यों को कराने के लिये सरकार को बड़ी मात्रा में धन खर्च करना पड़ सकता है।

अवैतनिक कार्य की क्षतिपूर्ति संबंधी चुनौतियाँ

- क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे: आर्थिक सर्वेक्षण-2019 में इस प्रकार के अवैतनिक कार्य को मान्यता दिया जाना एक सकारात्मक प्रयास है। हालाँकि इसके क्रियान्वयन में सरकार के समक्ष काफी चुनौतियाँ (जैसे- सरकार की सामर्थ्य और धनराशि की गणना) आदि समस्याँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- 'महिलाओं के कार्य' संबंधी धारणा की पुष्टि: कई आलोचक मानते हैं कि महिलाओं को गृह कार्य के लिये भुगतान करने से हम इस धारणा को और मज़बूत कर देंगे कि 'घरेलू और देखभाल' संबंधी कार्य केवल महिलाओं के लिये हैं।
- नियोक्ता-कर्मचारी संबंध: कई विश्लेषक वेतन या मुआवज़ा जैसे शब्दों के प्रयोग को चिंताजनक मानते हैं, क्योंकि यह नियोक्ता-कर्मचारी संबंध को दर्शाता है, जहाँ नियोक्ता अपने अधीनस्थ कर्मचारी पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है।
- पुरुषों की स्थिति मज़बूत होना: घरेलू कार्यों हेतु पत्नी को भुगतान किये जाने से भारतीय पितृसत्तात्मक परिवार की अवधारणा का और अधिक औपचारिक होने का खतरा है क्योंकि इन परिवारों में पुरुष को 'प्रदाता' के रूप में देखा जाता है।
- सरकार पर बोझ: अभी भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है कि महिलाओं द्वारा किये गए गृहकार्य का भुगतान कौन करेगा, अगर यह राज्य द्वारा किया जाना है तो इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

आगे की राह:

अवैतनिक कार्य की क्षतिपूर्ति से संबंधित किसी भी सार्वजनिक नीति का उद्देश्य 'मान्यता, कटौती और पुनर्वितरण' के सिद्धांत के माध्यम से अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल कार्यों में मौजूद उच्च लैंगिक अंतर को कम करना होना चाहिये।

- मान्यता देना: महिलाओं को घरेलू कार्य के लिये वेतन का भुगतान, इस तथ्य की एक औपचारिक मान्यता है कि अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य, प्राय: पुरुषों द्वारा किये जाने वाले वैतनिक कार्य से कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं।
  - सरकार सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय डेटाबेस में अवैतनिक कार्य को मान्यता दे सकती है और इस डेटाबेस का उपयोग राष्ट्रीय नीतियों में किया जा सकता है।
- कटौती: महिलाओं के अवैतनिक बोझ को निम्नलिखित तरीकों से कम किया जा सकता है:
  - प्रौद्योगिकी में सुधार (जैसे खाना पकाने के लिये बेहतर ईंधन)।
  - बेहतर अवसंरचना (जैसे सभी घरों में जल की व्यवस्था)।

नोट :

- कुछ अवैतनिक कार्यों को मुख्य अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना (दिव्यांग, बीमार, बच्चों और वृद्धों आदि की देखभाल)।
- महिलाओं के लिये बुनियादी सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य और परिवहन) को सुलभ बनाना।

- पुनर्वितरण: नीतिगत उपायों में पुरुषों और महिलाओं के बीच कार्य के पुनर्वितरण का प्रयास किया जाना चाहिये, जिसके तहत पुरुषों को गृहकार्य और देखभाल संबंधी कार्यों के लिये प्रशिक्षण और गृहकार्य साझा करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन आदि शामिल हो सकते हैं।
  - ये उपाय महिलाओं को स्वयं के लिये समय निकालने और जीवन में नए अवसर तलाशने में सहायता करेंगे।
  - इसके अलावा वृद्ध महिलाओं (60+ वर्ष) को पेंशन दिया जाना उनके अवैतनिक कार्यों की भरपाई के लिये एक बेहतर विचार हो सकता है।

निष्कर्ष:

महिलाओं के अवैतनिक कार्यों के बोझ को कम करना और आर्थिक विकास में उनकी क्षमताओं का यथासंभव प्रयोग करना, न केवल लैंगिक समानता के लिये बल्कि अर्थव्यवस्था के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु काफी महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि The Vision

नोट :